रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-17082023-248155 CG-DL-E-17082023-248155

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3521]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 17, 2023/श्रावण 27, 1945
No. 3521]	NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 17, 2023/SHRAVANA 27, 1945

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अगस्त, 2023

का.आ. 3680(अ).—भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (2016 का 16) की धारा 41 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद्वारा नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट निम्नलिखित सदस्यों को केंद्रीय परामर्शी परिषद (इसके पश्चात इसको 'परिषद' के रूप में संदर्भित किया जाएगा) के सदस्यों के रूप में नियुक्त करती है और इस प्रयोजन हेतु आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 20 नवंबर, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ.सं. 2666 में राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से संशोधन करती है, नामत:-

पूर्वोक्त अधिसूचना में, सारणी के क्रम संख्या 22 से आगे निम्नलिखित सदस्यों की नियुक्ति की जायेगी, नामत:∹-

सारणी

क्र. सं.	नाम	पदनाम
22.	अध्यक्ष, नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट कौंसिल (एन.ए.आर.ई.डी.सी.ओ.), नई दिल्ली	सदस्य (पदेन)
23.	अध्यक्ष, कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ़ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया (सी.आर.ई.डी.ए.आई.), नई दिल्ली	सदस्य (पदेन)

5302 GI/2023 (1)

O-17024/1059/2017-HOUSING SECTION-MHUPA 2385329/2023/HOUSING SECTION

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY [PART II—Sec. 3(ii)]

24.	अध्यक्ष, फोरम फॉर पीपल्स कलेक्टिव एफर्ट्स (एफ.पी.सी.ई), कोलकाता, पश्चिम बंगाल	सदस्य (पदेन)
25.	अध्यक्ष, न्यू एरा फ्लैट ऑनर्स वेलफेयर एसोसिएशन (न.इ.फ.ओ.व.अ.), नोएडा, उत्तर प्रदेश	सदस्य (पदेन)
26.	अध्यक्ष, नेशनल एसोसिएशन ऑफ़ रेअल्टर्स – इंडिया (एन.ए.आरइंडिया), गुरुग्राम, हरियाणा	सदस्य (पदेन)
27.	अध्यक्ष, केंद्रीय भवन और अन्य निर्माण श्रमिक सलाहकार समिति (या उनके द्वारा नामांकित व्यक्ति), श्रम और रोज़गार मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य (पदेन)
28.	संस्थापक, नम्मा बेंगलुरु फाउंडेशन (या उनके द्वारा नामांकित व्यक्ति), बेंगलुरू, कर्नाटक	सदस्य (पदेन)
29.	प्रबंध निदेशक, लिआसिस फोरास रियल एस्टेट रेटिंग एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड	सदस्य (पदेन)
30.	संस्थापक, एनारोक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड	सदस्य (पदेन)
31.	अपर सचिव / सयुंक्त सचिव (आवास), आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य संयोजक (पदेन)

2. जैसे कि इस अधिनियम की धारा 41 की उप-खंड/धारा (4) के अंतर्गत व्यवस्था की गई है, इस सारणी के क्रमांक 22 से 30 पर चयन किये गए सदस्य पांच वर्षों की अवधि हेतु ऐसे सदस्य के रूप मे पद पर रहेंगे।

नोट: मूल अधिसूचना दिनांक 20 नवंबर, 2017 के का.आ.सं. 2666 के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई थी और उसके उपरांत दिनांक 13 जुलाई, 2022 के का.आ.सं. 3184 (ई) के तहत संशोधित की गई थी।

> [फा. सं. ओ-17024/1059/2017-आवासन अनुभाग-एमएचयूपीए/ईएफएस-9023391] सैलेश जोगियानी, अवर सचिव

MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 16th August, 2023

S.O. 3680E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 41 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 (16 of 2016) (hereinafter referred to as the Act) the Central Government hereby appoints the following members specified in the table below, as members of the Central Advisory Council (hereinafter referred to as the 'Council'), and for that purpose, makes the following amendment in the Notification number S.O. 2666 dated 20th November, 2017 of Ministry of Housing and Urban Affairs, Government of India, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, namely:

In the aforesaid notification, from serial number 22 onwards of the Table, the following members shall be appointed namely: -

[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 3

TABLE

S. No.	Name	Designation
22.	President, National Real Estate Development Council (NAREDCO), New Delhi	Member (ex-officio)
23.	President, Confederation of Real Estate Developers Association of India (CREDAI), New Delhi	Member (ex-officio)
24.	President, Forum for People's Collective Efforts (FPCE), Kolkata, West Bengal	Member (ex-officio)
25.	President, New Era Flat Owners Welfare Association (NEFOWA), Noida, Uttar Pradesh.	Member (ex-officio)
26.	Chairperson, National Association of Realtors – India (NAR - INDIA), Gurugram, Haryana	Member (ex-officio)
27.	Chairperson, Central Building and Other Construction Workers Advisory Committee (or his nominee), Ministry of Labour and Employment, Government of India	
28.	Founder, Namma Bengaluru Foundation (or his nominee), Bengaluru, Karnataka.	Member (ex-officio)
29.	Managing Director, Liases Foras Real Estate Rating & Research Pvt Ltd.	Member (ex-officio)
30.	Founder, ANAROCK Property Consultant Pvt Ltd.	Member (ex-officio)
31.	Additional Secretary / Joint Secretary (Housing), Ministry of Housing and Urban Affairs, Government of India.	Member Convenor (ex-officio)

2. The members at serial numbers 22 to 30 of the table, selected as provided under sub-section (4) of section 41 of the Act, shall hold office as such member for a period of five years, from the date of this notification.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India vide number S.O. 2666 dated 20th November, 2017 and subsequently amended vide S. O. 3184 (E) dated 13th July, 2022.

[F. No. O-17024/1059/2017-HOUSING SECTION-MHUPA /EFS-9023391] SAILESH JOGIANI, Under Secy.